अदा+लत=नामा

मेंढ़की चलीं गंगा नहाने

उच्च न्यायालय कोरिडोर में मेढ़कियों के गंगा नहाने के प्रयास की चर्चा जोरों पर है। यह इसलिए भी है कि यहाँ से ज्यादा रूल्स रेगुलेशन का उलंघन शायद ही अन्यत्र होता हो।

ज्वाइंट रजिस्ट्रार व इससे ऊपर के पदों पर प्रोन्नति के लिए लॉ ग्रेजुएट होना जरुरी है लेकिन इधर कुछ हाईस्कूल/इंटर पास अधिकारी जो लॉ ग्रेजुएट तो दूर की बात है ग्रेजुएट तक नहीं हैं ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनने की जुगत में लग गये।

यह बात यहाँ पर उच्च न्यायिक सेवा से मेहमान नवाजी करने आये अधिकारियों को बहुत नागवार गुजरी और वे भी इन नान-ग्रेजुएट को ज्वाइंट रजिस्ट्रार न बनने देने के लिए कमर कसकर मैदान में आ गये। दरअसल उनका डर इस बात का है कि अगर ये नान-ग्रेजुएट/नान-लॉ ग्रेजुएट इस पदों पर पहुंच गए तो हममें-इनमें फर्क क्या रह जायेगा? और हम इनके बराबर सेवा पानी भी नहीं कर पायेंगे। बाद में जीत उन्हीं की हुई।

अपनी इस सफलता पर ये अधिकारी सत्यार्थ से बोल उठे मेंढ़की चली थी गंगा नहाने इस पर सत्यार्थ ने कहा इतना इतराने की जरुरत नहीं उनकी पहुंच इतने ऊंचे तक और इतनी गहरी है कि किसी भी समय कुछ भी करा सकते हैं और हुआ भी वही उसका एक ताजा नमूना तुरन्त सामने आ गया।

ज्वांइट रजिस्ट्रार का इण्टर ब्यू तक दिया नहीं बनना तो बहुत दूर की बात है लेकिन उच्च न्यायालय की डायरी में ज्वांइट रजिस्ट्रार में न सिर्फ अपना नाम छपवा लिया बल्कि अपना व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर भी एक नहीं दो-दो जगहों पर छपवा लिया।

अब हाईकोर्ट के अन्दर वाले जानते रहें कि वे ज्वाइंट रजिस्ट्रार नहीं हैं बाहर के लोग तो उनको ज्वाइंट रजिस्ट्रार ही समझेंगे और उसी हिसाब से डील होगी।

बताइये क्या आपकी हैसियत है कि इस बात की जांच करा सकें कि उनका नाम ज्वाइंट रजिस्ट्रार में दो-दो जगह कैसे छप गया?

अरे मेंढ़की गंगा भले न नहा सके आप जैसे जजों को गंगा में डुबा देने की ताकत जरुर रखती है। ❑

शब्दों पर मत जाइए केवल अर्थ समझिये जो सच्चा है-सत्यार्थ

डिस्प्ले बोर्ड या रिस्कले बोर्ड

आज कोरिडोर में एक अधिवक्ता बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे, तो उनसे हमने पूछा भाई साहब क्या हो गया आप इतना अपसेट क्यों हैं?

उन्होंने झल्लाते हुए कहा ये डिस्प्ले बोर्ड क्यों लगें हैं? मैनें कहा आपके, मुअक्किलों और मुंशियों की सुविधा के लिए कि आप कहीं भी हों किसी कोर्ट में, कोर्ट के बाहर या गैलरी में तो यह जानकारी हो जाय कि किस कोर्ट में क्या काम चल रहा है। फ्रेश, सप्लीमेण्ट्री या लिस्ट तथा उसका नम्बर तो वहां पहुंचकर अपना केस कन्डक्ट कर लें। अब उनकी झुंझलाहट थोड़ी और बढ़ गयी बोले यही तो नहीं होता। बोर्ड में कुछ और आ रहा है चल कुछ और रहा है।

इस डिस्प्ले बोर्ड के चक्कर में मेरा मुकदमा डिसमिश इन डिफाल्ट हो गया। इतने में एक अधिवक्ता आ गये जिन्होंने अंदर की बात बतायी। बोले अरे ये हमारी आपकी सुविधा के लिए थोड़े ही लगे हैं ये तो कमीशन के लिए लग गये थे। तभी तो अस्सी प्रतिशत कोर्ट में इनकी सही जानकारी नहीं फीड की जाती है। देखिये पहले इसके लिए ही पैर तोडू चिकनी टाइल्स लगायी गयीं। उसके कारण भी एक साहब का केस, डी.डी. हो गया था और उन्होंने कोर्ट को यही कारण बताकर डिसमिश का आर्डर रिकाल करवा लिया था। आप भी वैसे कर लीजिए। इसपर उन्होंने और झल्लाते हुए कहा हमने यह कारण बताकर जब रिकाल करने के लिए कहा तो जवाब मिला कि कहाँ क्या चल रहा है यह जानकारी रखना आपका काम है।

अब भई मैं तो इनको डिस्प्ले नहीं बल्कि रिस्कले बोर्ड कहता हूँ क्योंकि इनकी इनफारमेशन पर रिलाई करने का मतलब है रिस्क लेना। केवल बीस प्रतिशत कोर्ट है। जो इसमें सही फीड करते हैं। ❑

अग्रे अग्रे विप्राणां

शीतकालीन अवकाश से दो दिन पहले महामूर्ति ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसने छोटी से लेकर बड़ी अदालतों तक सभी अधिवक्ताओं को उद्वेलित कर दिया है इस उद्वेलन की ध्वनियों ने कोरिडोर्स में गुंजायमान हो गयीं।

इस विषय पर कुछ अधिवक्ताओं से बात हो रही थी वे कह रहे थे कि इसमें तो वरिष्ठों को मार्गदर्शन देना है क्यों कि सबसे बड़ा अपमान तो उनका किया गया है हम तो उनके पीछे चलने को तैयार हैं।

इस कोरिडोरिय डिसकशन में एक बात खुलकर सामने आयी कि डेसिग्नेटेड सीनियर्स को अपना ओहदा वापस करके, एक मिसाल कायम करनी चाहिए तथा इस मामले में वैसी ही अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए जैसी वे बार के चुनाव, कैन्टीन आदि जैसे मामलों में निभाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ उन दो तीन दिनों में हुआ नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने उनके मौन को जस्टीफाइड करते हुए एक प्रकरण सुनाया कि एक बार चारों वर्णों के कुछ लोग जंगल में भ्रमण कर रहे थे, जब भी खाने, पीने, सोने का समय आता ब्राह्मण कहता शास्त्रों में है 'अग्रे अग्रे विप्राण्यं, और पहले खा पीके सो जाता। कुछ समय बाद चलते समय जंगल के रास्ते में एक नाला आ गया, सभी रुक गये।

अब प्रश्न आया कि सबसे पहले आगे कौन चले। इस पर दूसरे वर्ण वालों ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है पंडित जी ने स्वयं बताया है 'अग्रे अग्रे विप्राणां' तो आगे वही चलेंगे।

अब पंडित जी अपने ही बुने जाल में अपने को फंसता देखकर सोच में पड़ गये लेकिन पंडित जी ठहरे पंडित, पाण्डित्य उनके अन्दर कूट-कूट कर भरा था उन्होंने अपनी प्रत्युत्पन्न मति का प्रयोग किया और कहा नदी-नाले के लिए मना है अभी तक मैने पूरा सूत्र तो पढ़ा ही नहीं था अब जरुरत है उसकी तो सुनो

''अग्रे अग्रे विप्राणां, नदी नाले वर्जिता''। ❑

इस अखबर को और भी बेहतर एवं न्यायतंत्रोपयोगी बनाने के लिये अपने विचार, सुझाव, न्यायतंत्र से जुड़ी खबरें तथा शिकायतें हमें निम्न पते पर भेज सकते हैं-

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट, संपादकः 'जजमेण्ट आजतक'
हिमांशु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ, मो.: 9839010677
e-mail : judgementaajtak@yahoo.co.in